166

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2012 निगरानी – 2153- II /12

श्री रामसेवक शर्मा, अभि० द्वारा दिनांक 11-7-12 को प्रस्तुत। 11-7-12

1— धनश्याम पुत्र गंधा लोधी
2— भागवत पुत्र गंधा लोधी
निवासीगण— ग्राम कुसमाड, तहसील वकस्वाहा, जिला छतरपुर (म.प्र.) ------आवेदकगण

बनाम

1— हरिश्चन्द पुत्र उदयचन्द जैन
निवासी— वकस्वाहा, तहसील वकस्वाहा, जिला छतरपुर (म.प्र.)
2— म.प्र. शासन ------अनावेदकगण

10-7-12

निगरानी अन्तर्गत धारा--50 म.प्र. भू राजस्व संहिता--1959 संशोधित अधिनियम 2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.6.2012 द्वारा पारित अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म.प्र. प्र.क. 102/निगरानी/11--12 धनश्याम बनाम हरिश्चन्द के निर्णय से दुखित होकर।

श्रीमान जी,

आवेदकगण का निगरानी आवेदन--पत्र सादर प्रस्तुत है:--

1-- **प्रकरण के तथ्य:--**

यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदक कमांक--1 द्वारा सर्वे न. 34, 59 रकवा 2.266 हैक्टर स्थित ग्राम कुडाजनी तहसील वकस्वाहा जिला

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2153-दो/2012 जिला छतरपुर घनश्याम विरूद्ध हरिशचंद्र व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 102/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 19-06-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 11-07-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

08/01/19

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

08/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य